



PBC No.119 / 2024 RBE No. 55 / 2024

## av दक्षिण रेलवे Southern Railway प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी कार्यालय Office of the Principal Chief Personnel Officer प्रधान कार्यालय, कार्मिक विभाग, चेन्नै-600003 Headquarters, Personnel Department, Chennai-600003

सं/No: P(R) 500 / P / Vol.X दिनांक/Dated: 27.06.2024

All PHODs/ DRMs/ CWMs/ CEWE/ CAO/ CPM/ PDA/ Dy.CPOs/ Sr.DPOs/ Secy to GM, Chairman/RRB/MAS,TVC, Addl.Registrar/RCT/MAS, Secretary/RRT/MAS, Principal MDZTI/TPJ, SRCETC/TBM, ZETTC/AVD, DPOs/SPOs/WPOs/APOs of HQ/Divisions /Workshops/Units.

विषय/Sub: Railway Services (Pension) Amendment Rules, 2024.

\*\*\*

A copy of Railway Board's letter No. 2023/F(E)III/PN1/1 dated 24.06.2024 alongwith its enclosures on the above subject is enclosed for information, guidance and necessary action.

संलग्नक/Encl. 30 pages.

C.Anjani Digitally signed by C.Anjani Kumar Date: 2024.06.28 12:39:10 +05'30'

(C.Anjani Kumar)

सहायक कर्मचारी संबंधी अधिकारी/Asst Personnel Officer / IR & Trg. कृते प्रमुकाधि/For Principal Chief Personnel Officer

प्रतिलिपि/Copy to: The General Secretary/SRMU

The General Secretary/AISCTREA
The General Secretary/AIOBCREA
The General Secretary/NFIR

IT Section/PB/HQ - to upload in the SR website.

[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART II, SECTION 3, SUB - SECTION (i)]

Government of India Ministry of Railways (Railway Board)

#### NOTIFICATION

New Delhi, the 24th June, 2024

G.S.R. 3.4.6... (E). – In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Railway Services (Pension) Rules, 1993, namely:-

- Short Title and Commencement.— (1) These rules may be called the Railway Services (Pension) Amendment Rules, 2024.
  - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- In the Railway Services (Pension) Rules, 1993, for rule 9, the following shall be substituted, namely:—
- "9. Power to withhold or withdraw pension.- (1) (a) The President, in the case of a pensioner who retired from a post for which the President is the appointing authority;
  - (b) the Railway Board, in the case of a pensioner who retired from a post for which an authority subordinate to the President is the appointing authority,

may, by order in writing, withhold a pension or gratuity, or both, either in full or in part, or withdraw a pension in full or in part, whether permanently or for a specified period, and order recovery from a pension or gratuity of the whole or part of any pecuniary loss caused to the Railway, if, in any departmental proceedings or judicial proceedings, the pensioner is found guilty of grave misconduct or negligence during the period of service, including service rendered upon re-employment after retirement:

Provided that the Union Public Service Commission shall be consulted before any final orders are passed by the President under this sub-rule:

Provided further that where a part of pension is withheld or withdrawn, the amount of such pension shall not be reduced below the amount of minimum pension under rule 69.

(2) (a) The departmental proceedings referred to in sub-rule (1), if instituted while the railway servant was in service whether before his retirement or during his re-employment, shall, after the final retirement of the railway servant, be deemed to be proceedings under this rule and shall be continued and concluded by the authority by which they were commenced in the same manner as if the railway servant had continued in service: Provided that where the departmental proceedings are instituted by an authority subordinate to the Competent Authority to pass order under sub-rule (1), that authority shall submit a report recording its findings to the said competent authority.

- (b) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1) and clause (a), the departmental proceedings instituted under rule 11 of the Railway Servants (Discipline and Appeal) Rules, 1968, while the railway servant was in service and continued after retirement, shall have no effect on the pension and gratuity of the pensioner.
- (c) The departmental proceedings, if not instituted while the railway servant was in service, whether before his retirement, or during his re-employment, -
- (i) shall not be instituted except with the sanction of the authority competent to pass order under sub-rule (1) in Format 1;
- (ii) shall not be instituted in respect of any event which took place more than four years before such institution; and
- (iii) shall be conducted by such authority in such place as the authority competent to pass order under sub-rule (1), may direct and in accordance with the procedure applicable to departmental proceedings in which an order of dismissal from service could be made in relation to the railway servant during his service:

Provided that for the purpose of instituting departmental proceedings under this sub-rule, a memorandum of charges shall be communicated to the pensioner concerned in Format 2.

- (d) where a full-fledged inquiry is conducted giving an opportunity to the such railway servant to show cause during the proceedings in accordance with the Railway Servants (Discipline and Appeal) Rules, 1968, any further opportunity to show cause would not be necessary before taking action in same matter under sub-rule (1).
- (3) In the case of railway servant who has retired on attaining the age of superannuation or otherwise and against whom any departmental or judicial proceedings are instituted or where departmental proceedings instituted under rule 9 of the Railway Servants (Discipline and Appeal) Rules, 1968 are continued under sub-rule (2), a provisional pension as provided in rule 10 shall be sanctioned.
- (4) Where the authority competent to pass order under sub-rule (1) decides not to withhold or withdraw pension but orders recovery of pecuniary loss from pension, the recovery shall not ordinarily be made at a rate exceeding one-third of the pension admissible on the date of retirement of a railway servant.
- (5) (a) No appeal shall lie against any order made by the President under this rule.
  - (b) An appeal against an order under sub-rule (1), passed by an authority other than the President, shall lie to the President and the President shall, in consultation with the Union Public Service Commission, pass such orders on the appeal as he deems fit.
- (6) The President may at any time, either on his own motion or otherwise call for the records of any inquiry and revise any order made under these rules, after consultation with the Union Public Service Commission, and may confirm, modify or set aside the order; or remit the case

to any authority directing such authority to make such further enquiry as it may consider proper in the circumstances of the case or pass such other order as he may deem fit:

Provided that no order enhancing the amount of pension or gratuity to be withheld or withdrawn, shall be made by the President unless the railway servant concerned has been given an opportunity of making a representation against the order proposed and except after consultation with the Union Public Service Commission.

(7) The President may at any time, either on his own motion or otherwise review any order passed under these rules, where extenuating or special circumstances exist to warrant such review or when any new material or evidence which could not be produced or was not available at the time of passing the order under review and which has the effect of changing the nature of the case, has come, or has been brought, to his notice:

Provided that no order enhancing the amount of the pension or gratuity to be withheld or withdrawn, shall be made by the President unless the railway servant concerned has been given an opportunity of making a representation against the order proposed and except after consultation with the Union Public Service Commission.

Explanation .- For the purpose of this rule,-

- (1) (a) the departmental proceedings shall be deemed to be instituted on the date on which the statement of charges is issued to the Railway servant or pensioner, or if the railway servant has been placed under suspension from an earlier date, on such date; and
- (b) the judicial proceedings shall be deemed to be instituted, –
- (i) in the case of criminal proceedings, on the date on which the complaint or report of a police officer, of which the Magistrate takes cognisance, is made; and
- (ii) in the case of civil proceedings, on the date the suit is filed in the court.
- (2) the expression "misconduct" means any act done or omitted to be done by the pensioner, during the period of service, including service rendered upon re-employment after retirement, and which was in violation of any provisions of the Railway Services (Conduct) Rules, 1966, for which action under Railway Servants (Discipline and Appeal) Rules, 1968 could be taken during the period of service.
- (3) the action under sub-rule (1) may be taken, if the pensioner is found guilty of,-
- (i) any corrupt practices during service;
- (ii) any misconduct whether in relation to the performance of official duty or otherwise; and
- (iii) any misconduct whether resulting in pecuniary loss to the Government or otherwise.
- (4) the expression "civil proceedings" mean such proceedings in respect of a civil suit filed by the Government only."
- In the Railway Services (Pension) Rules, 1993, for rule 10, the following rule shall be substituted, namely:-

- "10. Provisional Pension where departmental or judicial proceedings may be pending.-
  - (1) (a) in respect of a railway servant referred to in sub-rule (3) of rule 9, the Accounts Officer shall authorise the provisional pension equal to the maximum pension which would have been admissible on the basis of qualifying service up to the date of retirement of the railway servant, or if he was under suspension on the date of retirement, up to the date immediately preceding the date on which he was placed under suspension.
  - (b) the provisional pension shall be authorised by the Accounts Officer during the period commencing from the date following the date of retirement up to and including the date on which, after the conclusion of departmental or judicial proceedings, final orders are passed by the competent authority.
  - (c) no gratuity shall be paid to the railway servant until the conclusion of the departmental or judicial proceedings and issue of final orders thereon.
  - (d) the provisions of this rule shall not be applicable where allegations of misconduct are under investigation against a railway servant or where departmental or judicial proceedings are contemplated against a railway servant but have not actually been instituted or deemed to have been instituted in accordance with explanation to rule 9, till the date of retirement of the railway servant and the pension and gratuity in such cases shall be authorised to be paid to the railway servant on his retirement in accordance with rule 85:

Provided that any departmental proceedings instituted after retirement of the railway servant shall be subject to the provisions of sub-rule (2) of rule 9.

- (2) payment of provisional pension made under sub-rule (1) shall be adjusted against final retirement benefits sanctioned to such railway servant upon conclusion of such proceedings but no recovery shall be made where the pension finally sanctioned is less than the provisional pension or the pension is reduced or withheld either permanently or for a specified period."
- In the Railway Services (Pension) Rules, 1993, after form 21, the Formats shall be inserted, namely:—

#### FORMAT 1

(See Rule 9)

Sanction for instituting departmental proceedings after retirement

No...... Government of India Ministry of Railways (Railway Board)

Dated	the
Dateu	the

WHEREAS it has been made to appear that Shri/Smt./Km
NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred on him by sub-clause (i) of clause (c) of sub-rule (2) of rule 9 of the Railway Services (Pension) Rules, 1993, the [President/Railway Board]* hereby accords sanction for institution of the departmental proceedings against the said Shri/Smt./ Km
The [President/Railway Board]* further directs that the said departmental proceedings shall be conducted in accordance with the procedure laid down in rules 9 and 10 of the Railway Servants (Discipline and Appeal) Rules, 1968, by
By order and in the name of the [President/Railway Board]*
(Name and designation of the Competent Authority)  * Whoever is the Competent Authority
No  Copy forwarded to Shri/Smt./Km  Copy also forwarded to Shri/Smt.Km
FORMAT 2
(See Rule 9) Memorandum for instituting departmental proceedings after retirement
No Government of India Ministry of Railways (Railway Board)
Dated the
MEMORANDUM
In pursuance of the sanction accorded by the [President/Railway Board]* under sub-rule (1) of rule 9 of the Railway Services (Pension) Rules, 1993, for instituting departmental proceedings against Shri/Smt./Km, vide Ministry/Department of

whom the departmental proceedings are to be conducted in accordance with the sanction of the [President/Railway Board]*) at
2. The substance of the imputations of misconduct or misbehaviour in respect of which the inquiry is proposed to be held is set out in the enclosed statement of articles of charge (Annexure I). A statement of the imputations of misconduct or misbehaviour in support of each article of charge is enclosed (Annexure II). A list of documents by which, and a list of witnesses by whom, the articles of charge are proposed to be sustained are also enclosed (Annexures III and IV).
3. Shri/Smt./Kmis directed to submit within ten days of the receipt of this Memorandum a written statement of his/her defence and also to state whether he/she desires to be heard in person.
4. He/she is informed that an inquiry will be held only in respect of those articles of charge as are not admitted. He/she should, therefore, specifically admit or deny each article of charge.
5. Shri/Smt./Km
6. The receipt of this Memorandum may be acknowledged.
By order and in the name of the [President/Railway Board]*
(Name and designation of the Competent Authority)
* Whoever is the Competent Authority
То
Shri/Smt./Km
ANNEXURE - I
Statement of articles of charge framed against Shri/Smt./ Km
Article - I
That the said Shri/Smt./Kmwhile functioning asduring the period

That during the aforesaid period and while functioning in the aforesaid office, the said Shri/Smt./Km
Article - III
That during the aforesaid period and while functioning in the aforesaid office, the said Shri/Smt./Km
ANNEXURE - II
Statement of imputations of misconduct or misbehaviour in support of the articles of charge framed against Shri/Smt./Km (name of the retired Railway servant) formerly
Article – I
Article – II
Article - III
ANNEXURE - III
List of documents by which the articles of charge framed against Shri/ Smt./Km
ANNEXURE - IV
List of Witnesses by whom the articles of charge framed against Shri/ Smt./Km
(File No. 2023/F(E)III/PN1/1)
(Bandana Sharma)
Executive Director, Finance (Establishment)

**Note:** The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* S.O. 930(E), dated 3<sup>rd</sup> December, 1993 and was last amended *vide* G.S.R.110, dated the 17<sup>th</sup> June, 2016.

Railway Board.

### No. 2023/F(E)III/PN1/1

New Delhi, Dated: 24 .06.2024.

Copy forwarded to the General Managers and PFAs, All Zonal Railways & Production Units/ RDSO etc. (As per the standard mailing list)

G. Priya Sudanani (G. Priya Sudarsani) Director Finance(Estt.) Railway Board

No. 2023/F(E)III/PN1/1

New Delhi, Dated: 24.06.2024.

Copy to:

Deputy Comptroller and Auditor General of India (Railways), Room No. 222, Rail Bhawan, New Delhi.

G. Priya Ludan and
For Member Finance, Railway Board

No. 2023/F(E)III/PN1/1

New Delhi, Dated: 24.06.2024.

### Copy to:-

- The General Secretary, NFIR, Room No. 256-E, Rail Bhawan, New Delhi.
- The General Secretary, AIRF, Room No. 253, Rail Bhawan, New Delhi.
- The Members of the National Council, Departmental Council and Secretary Staff Side, National Council, 13-C, Feroz Shah Road, New Delhi.
- The Secretary General, FROA, Room No. 256-A, Rail Bhawan, New Delhi.
- The Secretary General, IRPOF, Room No. 268, Rail Bhawan, New Delhi.
- The Secretary, RBSS, Group 'A' Officers Association, Rail Bhawan.
- The Secretary, RBSS, Group 'B' Officers Association.
- The General Secretary, RBSSSA, Room No. 451-A, Rail Bhawan, New Delhi.
- The Secretary, Railway Board Ministerial Staff Association.
- The Secretary, Railway Board Class IV staff Association.
- The General Secretary, All India SC/ST Railway Employees Association, Room No. 7, Ground Floor, Rail Bhawan, New Delhi

 The General Secretary, All India O.B.C. Railway Employees Federation (AIOBCREF), Room No.48, Rail Bhawan.

- hr.

For Principal Executive Director (IR), Railway Board.

No. 2023/F(E)III/PN1/1

New Delhi, Dated: 24.06.2024.

#### Copy to:-

Adv. to MR, EDPG to MR, OSD to MR, OSD (Co-ord) to MR, PS to MoSR(D), EDPG to MoSR(D), PS to MoSR(J), EDPG to MoSR(J), DPG to MoSR(J).

PSOs/Sr.PPSs/PPSs to CRB, MF, M/O&BD, M/Infra, M/TRS.

DG/HR, DG/Safety, DG(RHS), DG(RPF).

All Addl. Members, PEDs, All EDs, JSs.

Pay & Accounts Officer, M/o Railways (Railway Board)

No. 2023/F(E)III/PN1/1

New Delhi, Dated: 29.06.2024.

### Copy also to:-

- The DGs, IRICEN/Pune, IRIEEN/Nasik Road. IRIMEE/Jamalpur, IRISET/Secunderabad
- The CMDs, IRCON, IRFC, MRVC, IRC&TC, CONCOR, RITES, KRCL, RVNL, Railtel and MDs, CRIS, IRWO.
- 3. The Vice Chairman, Rail Land Development Authority, New Delhi.
- The Registrar, RCT/Delhi.
- 5. Chairmen of all RRBs
- 6. The Chief Commissioner of Railway Safety/ Lucknow

\*\*\*\*

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-26062024-254954 CG-DL-E-26062024-254954

### असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

### प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 323]

नई दिल्ली, मंगलवार, जून 25, 2024/आषाढ 4, 1946 NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 25, 2024/ASHADHA 4, 1946

No. 323]

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जून, 2024

सा.का.नि. 346.(अ). —राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रेल सेवा (पेंशन) नियम, 1993 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :-

- 1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.** (1) इन नियमों का नाम रेल सेवा (पेंशन) संशोधन नियम, 2024 है।
  - (2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- 2. रेल सेवा (पेंशन) नियम, 1993 में, नियम 9 के लिए निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-
- **"9. पेंशन को रोकने और प्रत्याहृत करने का अधिकार.-** (1) (क) राष्ट्रपति, किसी ऐसे पेंशनभोगी के मामले में जो उस पद से सेवानिवृत्त हुआ जिसके लिए राष्ट्रपति नियुक्ति प्राधिकारी है;
  - (ख) रेलवे बोर्ड, किसी ऐसे पेंशनभोगी के मामले में जो उस पद से सेवानिवृत्त हुआ जिसके लिए राष्ट्रपति के अधीनस्थ प्राधिकारी नियुक्ति प्राधिकारी है,

लिखित रूप में आदेश द्वारा, पेंशन या उपदान को, या दोनों को, पूर्णत: या अंशत: रोकने, या पेंशन को पूर्णत: या अंशत:, स्थायी रूप से या किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए प्रत्याहृत करने तथा रेलवे को कारित किसी धन संबंधी हानि को पूर्णत: या अंशत: पेंशन या उपदान में से वसूल करने का आदेश, यदि किसी विभागीय कार्यवाहियों या

3750 GI/2024 (1)

न्यायिक कार्यवाहियों में पेंशनभोगी के बारे में यह पाया जाए कि वह अपने सेवाकाल में, जिसके अंतर्गत सेवानिवृत्ति के पश्चात् पुनर्नियोजन करने पर की गई सेवा भी है, गंभीर अवचार या उपेक्षा का दोषी रहा है, दे सकेगा:

परंतु इस उप-नियम के अधीन राष्ट्रपति द्वारा कोई भी अंतिम आदेश पारित करने से पूर्व संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा:

परंतु यह और कि जहां पेंशन का कोई भाग रोक लिया जाए या प्रत्याहृत किया जाए, वहां ऐसी पेंशन की रकम नियम 69 के अधीन न्यूनतम पेंशन की रकम से नीचे कम नहीं की जाएगी।

(2) (क) यदि, उप-नियम (1) में निर्दिष्ट विभागीय कार्यवाहियां, उस समय, जब रेल सेवक सेवा में रहा हो, चाहे उसकी सेवानिवृत्ति से पूर्व या उसके पुनर्नियोजन के दौरान संस्थित की गई हो तो, रेल सेवक के अंतिम रूप से सेवानिवृत्त हो जाने के पश्चात्, यह समझा जाएगा कि वे इस नियम के अधीन की कार्यवाहियां हैं, और वे उस प्राधिकारी द्वारा, जिसके द्वारा वे प्रारम्भ की गई थीं, उसी रीति से जारी रखी जाएंगी और उन्हें अंतिम रूप दिया जाएगा, मानो वह रेल सेवक सेवा मे बना रहा हो:

परंतु जहां विभागीय कार्यवाहियां उप-नियम (1) के अधीन आदेश पारित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के किसी अधीनस्थ प्राधिकारी द्वारा संस्थित की जाएं, वहां वह प्राधिकारी अपने निष्कर्षों को अभिलिखित करते हुए एक रिपोर्ट उक्त सक्षम प्राधिकारी को देगा।

- (ख) उप-नियम (1) और खंड (क) में वर्णित किसी बात के होते हुए भी, रेल सेवक के सेवा में रहते हुए, रेल सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियम 1968 के नियम 11 के अधीन संस्थापित विभागीय कार्यवाही जो सेवानिवृत्ति के पश्चात भी जारी रहती है, का प्रभाव उसकी पेंशन और उपदान पर नहीं पड़ेगा।
- (ग) यदि विभागीय कार्यवाहियां उस समय, जब रेल सेवक सेवा में था, चाहे उसकी सेवानिवृत्ति से पूर्व या उसके पुनर्नियोजन के दौरान, संस्थित न की गई हों तो वे, -
- (i) प्रारूप 1 में उप-नियम (1) के अधीन आदेश पारित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बिना संस्थित नहीं की जाएगी;
- (ii) ऐसी किसी घटना की बाबत नहीं होगी, जो उक्त संस्थिति से पूर्व चार वर्ष से अधिक पहले घटी हो; और
- (iii) ऐसे प्राधिकारी द्वारा और ऐसे स्थान में जिनके बारे में उप-नियम (1) के अधीन आदेश पारित करने वाला सक्षम प्राधिकारी निदेश दे और ऐसी प्रक्रिया के अनुसार संचालित की जाएंगी, जो ऐसी विभागीय कार्यवाहियों को लागू होती हों जिसमें रेल सेवक के संबंध में सेवा से पदच्युति का आदेश उसकी सेवा के दौरान दिया जा सकता हो:

परंतु इस उप-नियम के अधीन विभागीय कार्यवाहियां संस्थित करने के प्रयोजन से, संबंधित पेंशनभागी को प्रारूप 2 में आरोपों का ज्ञापन भेजा जाएगा।

- (घ) जहां रेल सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियम, 1968 के अनुसार कार्यवाहियों के दौरान ऐसे रेल सेवक को कारण बताने का अवसर देते हुए पूर्ण रूप से जांच की जाती है, तो वहां उसी मामले में उप-नियम (1) के अधीन कार्रवाई करने से पूर्व और कारण बताने का अवसर देना आवश्यक नहीं होगा।
- (3) ऐसे रेल सेवक की दशा में, जो अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर या अन्यथा सेवानिवृत्त हुआ हो और जिसके विरुद्ध कोई विभागीय या न्यायिक कार्यवाहियां संस्थित की गई हों या जहां रेल सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियम, 1968 के नियम 9 के अधीन संस्थित विभागीय कार्यवाहियां, उप-नियम (2) के अधीन जारी रखी गई हों, नियम 10 में यथा उपबंधित अनंतिम पेंशन संस्वीकृत की जाएगी।
- (4) जहां उप-नियम (1) के अधीन आदेश पारित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी यह विनिश्चय करे कि पेंशन न तो रोकी ही जाए और न ही प्रत्याहृत की जाए, किन्तु धन संबंधी हानि की पेंशन में से वसूली के आदेश दें, वहां वह वसूली रेल सेवक की सेवानिवृत्ति की तारीख को अनुज्ञेय पेंशन की एक तिहाई से अधिक की दर पर सामान्यतया नहीं की जाएगी।
- (5) (क) इस नियम के अधीन राष्ट्रपति द्वारा दिए गए किसी आदेश के विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकेगी।

- (ख) राष्ट्रपति से भिन्न किसी प्राधिकारी द्वारा उप-नियम (1) के अधीन पारित किसी आदेश के विरुद्ध अपील राष्ट्रपति को की जा सकेगी और राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके अपील पर ऐसे आदेश पारित करेगी, जो वह उपयुक्त समझे।
- (6) राष्ट्रपति किसी भी समय स्वप्नेरणा से या अन्यथा किसी जांच के अभिलेखों को मांग सकती हैं और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के अधीन किए गए किसी भी आदेश की पुनरीक्षा कर सकती हैं और आदेश की पुष्टि, उपांतरण या अपास्त कर सकती हैं, या मामले को किसी प्राधिकारी को यह निर्देश देते हुए विप्रेषित कर सकती हैं कि वह आगे ऐसी जांच करे जो वह मामले की परिस्थितियों में उपयुक्त समझे या ऐसे अन्य आदेश पारित कर सकती हैं जैसे वह ठीक समझें:
  - परंतु विधारित या प्रत्याहृत की जाने वाली पेंशन या उपदान की रकम में वृद्धि करने वाला कोई आदेश राष्ट्रपति द्वारा तब तक नहीं दिया जाएगा, जब तक कि संबंधित रेल सेवक को प्रस्तावित आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन करने का एक अवसर नहीं दिया जाता है और जब तक संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श न किया गया हो।
- (7) ऐसी परिशमनकारी अथवा विशेष परिस्थितियां जो पुनर्विलोकन के लिए समुचित आधार हैं या कोई नई सामग्री या साक्ष्य जिसे पुनरीक्षाधीन आदेश के पारित किए जाने के समय प्रस्तुत नहीं किया जा सका था या जो उपलब्ध नहीं थे और जो मामले के स्वरूप में परिवर्तन करने का प्रभाव रखती है, के नोटिस में आने या लाए जाने पर, राष्ट्रपति किसी भी समय, स्वप्रेरणा से या अन्यथा, इन नियमों के अधीन पारित किसी आदेश का पुनर्विलोकन कर सकती हैं:

परंतु विधारित या प्रत्याहृत की जाने वाली पेंशन या उपदान की रकम में वृद्धि करने वाला कोई आदेश राष्ट्रपित द्वारा तब तक नहीं दिया जाएगा, जब तक कि संबंधित रेल कर्मचारी को प्रस्तावित आदेश के विरूद्ध अभ्यावेदन करने का एक अवसर नहीं दिया जाता है और जब तक संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श न किया गया हो।

स्पष्टीकरण - इस नियम के प्रयोजन के लिए,-

- (1) (क) विभागीय कार्यवाहियां उस तारीख को, जिसको आरोपों का विवरण रेल सेवक या पेंशनभोगी को जारी किया गया है, अथवा यदि रेल कर्मचारी किसी पूर्वत्तर तारीख से निलंबित कर दिया गया है तो ऐसी तारीख को संस्थित हुई समझी जाएंगी; तथा
- (ख) न्यायिक कार्यवाहियां संस्थित हुई समझी जाएंगी,-
- (i) दांडिक कार्यवाहियों की दशा में, उस तारीख को संस्थित हुई समझी जाएंगी जिसको किसी पुलिस अधिकारी की शिकायत या रिपोर्ट, जिसका कि मजिस्ट्रेट संज्ञान करता है, की गई हो; और
- (ii) सिविल कार्यवाहियों की दशा में, उस तारीख को संस्थित हुई समझी जाएंगी जिसको वादपत्र न्यायालय में पेश किया जाता है।
- (2) "अवचार" अभिव्यक्ति से पेंशनभोगी द्वारा सेवा की अविध के दौरान, जिसमें सेवानिवृत्ति के पश्चात पुनर्नियोजन के दौरान की गई सेवा भी है, किया गया या नहीं किया गया कोई ऐसा कार्य अभिप्रेत है, और जो रेल सेवा (आचरण) नियम, 1966 के किन्हीं उपबंधों का उल्लंघन था, जिसके लिए सेवा की अविध के दौरान रेल सेवक (अनुशासन और अपील) नियम, 1968 के अधीन कार्रवाई की जा सकती है।
- (3) उपनियम (1) के अधीन कार्रवाई की जा सकती है, यदि पेंशनभोगी निम्न के लिए दोषी पाया जाता है,-
- (i) सेवा के दौरान कोई भी भ्रष्ट आचरण;
- (ii) शासकीय कर्तव्य के निष्पादन की बाबत या अन्यथा कोई अवचार; तथा
- (iii) किसी प्रकार का अवचार जिसके परिणामस्वरूप सरकार को आर्थिक नुकसान हो या अन्यथा।
- (4) "सिविल कार्यवाहियां" अभिव्यक्ति से ऐसी कार्यवाहियां अभिप्रेत होंगी जो केवल सरकार द्वारा दायर सिविल वाद की बाबत हों।"
- 3. रेल सेवा (पेंशन) नियम, 1993 में, नियम 10 के लिए, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

### "10. अनंतिम पेंशन जहां विभागीय या न्यायिक कार्यवाहियां लंबित हों-

- (1) (क) नियम 9 के उप-नियम (3) में निर्दिष्ट रेल सेवक की बाबत, लेखा अधिकारी उस अधिकतम पेंशन के बराबर अनंतिम पेंशन प्राधिकृत करेगा जो रेल सेवक की सेवानिवृत्ति की तारीख तक, या यदि वह सेवानिवृत्ति की तारीख को निलंबित रहा था, तो उसके निलंबित किए जाने की तारीख से ठीक पूर्व की तारीख तक, उसकी अर्हक सेवा के आधार पर उसे अनुज्ञेय होती।
- (ख) लेखा अधिकारी उस अवधि के लिए अनंतिम पेंशन प्राधिकृत करेगा, जो सेवानिवृत्ति की तारीख से प्रारंभ होकर और उस तारीख तक है, जिसमें वो तारीख भी सम्मिलित है जिसको विभागीय या न्यायिक कार्यवाहियों की समाप्ति के पश्चात् सक्षम प्राधिकारी द्वारा अंतिम आदेश पारित किए जाते हैं।
- (ग) रेल सेवक को तब तक कोई भी उपदान नहीं दिया जाएगा जब तक कि विभागीय या न्यायिक कार्यवाहियां समाप्त नहीं हो जाती और उन पर अंतिम आदेश नहीं दे दिया जाता।
- (घ) इस नियम के उपबंध वहां लागू नहीं होंगे, जहां किसी रेल सेवक के विरूद्ध अवचार के आरोपों की जांच की जा रही हो अथवा जहां किसी रेल सेवक के विरूद्ध विभागीय या न्यायिक कार्यवाहियां करने पर विचार किया जा रहा है, किंतु रेल सेवक के सेवानिवृत्ति की तारीख तक, नियम 9 के स्पष्टीकरण के अनुसार वस्तुतः संस्थित नहीं की गई हैं या संस्थित किया गया नहीं समझा गया है और ऐसे मामलों में, नियम 85 के अनुसार रेल सेवक को उसकी सेवानिवृत्ति पर पेंशन और उपदान का संदाय प्राधिकृत किया जाएगा।

परंतु रेल सेवक की सेवानिवृत्ति के पश्चात् संस्थित की गई कोई भी विभागीय कार्यवाहियां नियम 9 के उप-नियम (2) के उपबंधों के अधीन होगी।

- (2) उप-नियम (1) के अधीन अनंतिम पेंशन का संदाय ऐसी कार्यवाहियों की समाप्ति पर रेल सेवक को संस्वीकृत अंतिम सेवानिवृत्ति हितलाभों के सापेक्ष समायोजित किया जाएगा, किंतु जहां अंतिम रूप में संस्वीकृत पेंशन अनंतिम पेंशन से कम है या जहां पेंशन कम हो गई है या स्थायी रूप से या किसी विनिर्दिष्ट अविध के लिए विधारित कर ली जाती है वहां कोई वसूली नहीं की जाएगी।"
- 4. रेल सेवा (पेंशन) नियम, 1993 में, प्ररूप 21 के पश्चात्, निम्नलिखित रूपविधान सम्मिलित किए जाएंगे, अर्थात्:-

### प्रारूप 1

(नियम 9 देखें)

### सेवानिवृत्ति के पश्चात विभागीय कार्यवाही प्रारंभ करने की स्वीकृति

सं
भारत सरकार
रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)

तारीख
आदेश
चूंकि यह पाया गया है कि श्री/श्रीमती/कु
अतः, रेल सेवा (पेंशन) नियम, 1993 के नियम 9 के उप-नियम (2) के खंड (सी) के उप-खंड (i) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, [राष्ट्रपति/रेलवे बोर्ड]* उक्त श्री/श्रीमती/कु के खिलाफ विभागीय कार्यवाही शुरू करने की स्वीकृति प्रदान करते है।

[राष्ट्रपात/रलव बाड]* यह भा निदाशत करत ह कि उक्त विभागाय कायवाहा रल कमचारा (अनुशासन एव अपील) नियम, 1968 के नियम 9 और 10 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार द्वारा (यहां उस प्राधिकारी का उल्लेख करें जिसके द्वारा विभागीय कार्यवाही की जानी चाहिए)(यहां
वह स्थान निर्दिष्ट करें जहां विभागीय कार्यवाही आयोजित की जाएगी) में संचालित की जाएगी।
[राष्ट्रपति/रेलवे बोर्ड]* के नाम पर आदेशानुसार 
(सक्षम प्राधिकारी का नाम एवं पदनाम)
* जो भी सक्षम प्राधिकारी हो
सं
श्री/श्रीमती./कु को अग्रेषित प्रतिलिपि
श्री/श्रीमती./कु को भी अग्रेषित प्रतिलिपि
प्रारूप 2
(नियम 9 देखें)
सेवानिवृत्ति के पश्चात विभागीय कार्यवाही शुरू करने के लिए ज्ञापन
<del>t</del> i
भारत सरकार
रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)
तारीख
ज्ञापन
[राष्ट्रपति/रेलवे बोर्ड]* द्वारा श्री/श्रीमती/कुके विरुद्ध रेल सेवा (पेंशन) नियम, 1993 के नियम 9 के उप-नियम (1) के अधीन प्रदान की गई मंजूरी के अनुसरण में,के तहत रेल मंत्रालय/विभाग के तारीखके तहत रेल कर्मचारी (अनुशासन एवं अपील) नियम, 1968 के नियम 9 और 10 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार विभागीय कार्यवाही प्रस्तावित की जाती हैं। उक्त जांच द्वारा (यहां उस प्राधिकारी का उल्लेख करें जिसके द्वारा [राष्ट्रपति/रेलवे बोर्ड]* की मंजूरी के अनुसार विभागीय कार्यवाही संचालित की जानी है)
2. कदाचार या दुर्व्यवहार के जिन आरोपों के संबंध में जांच प्रस्तावित है, उनका सार आरोपों के संलग्न विवरण (उपाबंध-I) में दिया गया है। प्रत्येक आरोप के समर्थन में कदाचार या दुर्व्यवहार के आरोपों का एक वक्तव्य संलग्न है (उपाबंध-II)। उन दस्तावेजों तथा गवाहों की सूची (उपाबंध III और IV), जिनके आधार पर आरोप-पत्र को कायम रखने का प्रस्ताव है, भी संलग्न है।
3. श्री/श्रीमती/कु को इस ज्ञापन की प्राप्ति के दस दिनों के भीतर अपने बचाव में लिखित बयान प्रस्तुत करने और प्रत्यक्ष रूप में अपनी बात रखने की इच्छा को व्यक्त करने का निर्देश दिया जाता है।

4. उन्हें सूचित किया जाता है कि केवल अस्वीकार किए गए आरो प्रत्येक आरोप को विनिर्दिष्ट रूप से स्वीकार या अस्वीकार करना च	
5. श्री/श्रीमती/कु को यह भी सूचित विनिर्दिष्ट तारीख को या उससे पहले अपना बचाव का लिखित ब समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं होते या रेल कर्मचारी (अन् और 10 के उपबंधों का पालन करने से इनकार करते है या पाल उनके विरुद्ध एकपक्षीय जांच आयोजित कर सकते हैं।	बयान प्रस्तुत नहीं करते, या जांच प्राधिकारी के नुशासन और अपील) नियम, 1968 के नियम 9
6. इस ज्ञापन की पावती दी जाए।	
	[राष्ट्रपति/रेलवे बोर्ड] के नाम पर आदेशानुसार *
	(सक्षम प्राधिकारी का नाम और पदनाम)
* जो भी सक्षम प्राधिकारी है	
सेवा में,	
श्री/श्रीमती/कु	
उपाबंध - I	
श्री/श्रीमती/कु (सेवानिवृ	त्त रेल कर्मचारी का नाम) के विरुद्ध लगाए गए
आरोपों का विवरण, जो पूर्व मेंथे।	
अनुच्छेद - I	
उक्त श्री/श्रीमती/कुअवधि के दौरान हुए।	के रूप में कार्य करते
अनुच्छेद - II	
कि उपरोक्त अवधि के दौरान और उपरोक्त कार्यालय 	में कार्य करते समय, उक्त श्री/श्रीमती/कु.
अनुच्छेद - III	
कि उपरोक्त अवधि के दौरान और उपरोक्त कार्यालय	में कार्य करते समय, उक्त श्री/श्रीमती/कु.
उपाबंध - II	
श्री/श्रीमती/कु (सेवानिवृत्त रेल कर्मचारी का नार कदाचार या दुर्व्यवहार के आरोपों का विवरण, जो पूर्व में	
अनुच्छेद – I	
अनुच्छेद – ॥	
अनुच्छेद – III	
उपाबंध – III	

दस्तावेजों की सूची जिसके द्वारा श्री/श्रीमती/कुपोंचा की सूची निवृत्त रेल कर्मचारी का नाम) जो पूर्व मेंपोंचा अस्ताव है।
उपाबंध – IV
उन साक्षियों की सूची जिनके द्वारा श्री/श्रीमती/कुपंत्रा (सेवानिवृत्त रेल कर्मचारी का नाम) जो पूर्व में रखने का प्रस्ताव है।
[फा. सं. 2023/एफ(ई)III/पीएन1/1]
बन्दना शर्मा, कार्यपालक निदेशक

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii), का. अ. 930(अ) तारीख 3 दिसंबर, 1993 द्वारा प्रकाशित किए गए और सा.का.नि. 110 तारीख 17 जून, 2016 द्वारा अंतिम बार संशोधित किया गया।

#### MINISTRY OF RAILWAYS

#### (Railway Board)

### **NOTIFICATION**

New Delhi, the 24th June, 2024

- **G.S.R.** 346(E). In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Railway Services (Pension) Rules, 1993, namely:-
- 1. **Short Title and Commencement.** (1) These rules may be called the Railway Services (Pension) Amendment Rules, 2024.
  - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Railway Services (Pension) Rules, 1993, for rule 9, the following shall be substituted, namely:-
- **"9. Power to withhold or withdraw pension.-** (1) (a) The President, in the case of a pensioner who retired from a post for which the President is the appointing authority;
  - (b) the Railway Board, in the case of a pensioner who retired from a post for which an authority subordinate to the President is the appointing authority,

may, by order in writing, withhold a pension or gratuity, or both, either in full or in part, or withdraw a pension in full or in part, whether permanently or for a specified period, and order recovery from a pension or gratuity of the whole or part of any pecuniary loss caused to the Railway, if, in any departmental proceedings or judicial proceedings, the pensioner is found guilty of grave misconduct or negligence during the period of service, including service rendered upon re-employment after retirement:

Provided that the Union Public Service Commission shall be consulted before any final orders are passed by the President under this sub-rule:

Provided further that where a part of pension is withheld or withdrawn, the amount of such pension shall not be reduced below the amount of minimum pension under rule 69.

(2) (a) The departmental proceedings referred to in sub-rule (1), if instituted while the railway servant was in service whether before his retirement or during his re-employment, shall, after the final retirement of the railway servant, be deemed to be proceedings under this rule and shall be continued and concluded by the authority by which they were commenced in the same manner as if the railway servant had continued in service:

Provided that where the departmental proceedings are instituted by an authority subordinate to the Competent Authority to pass order under sub-rule (1), that authority shall submit a report recording its findings to the said competent authority.

(b) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1) and clause (a), the departmental proceedings instituted under rule 11 of the Railway Servants (Discipline and Appeal) Rules, 1968, while the railway servant was in service and continued after retirement, shall have no effect on the pension and gratuity of the pensioner.

- (c) The departmental proceedings, if not instituted while the railway servant was in service, whether before his retirement, or during his re-employment, -
- (i) shall not be instituted except with the sanction of the authority competent to pass order under sub-rule (1) in Format 1;
- (ii) shall not be instituted in respect of any event which took place more than four years before such institution; and
- (iii) shall be conducted by such authority in such place as the authority competent to pass order under subrule (1), may direct and in accordance with the procedure applicable to departmental proceedings in which an order of dismissal from service could be made in relation to the railway servant during his service:

Provided that for the purpose of instituting departmental proceedings under this sub-rule, a memorandum of charges shall be communicated to the pensioner concerned in Format 2.

- (d) where a full-fledged inquiry is conducted giving an opportunity to the such railway servant to show cause during the proceedings in accordance with the Railway Servants (Discipline and Appeal) Rules, 1968, any further opportunity to show cause would not be necessary before taking action in same matter under sub-rule (1).
- (3) In the case of railway servant who has retired on attaining the age of superannuation or otherwise and against whom any departmental or judicial proceedings are instituted or where departmental proceedings instituted under rule 9 of the Railway Servants (Discipline and Appeal) Rules, 1968 are continued under sub-rule (2), a provisional pension as provided in rule 10 shall be sanctioned.
- (4) Where the authority competent to pass order under sub-rule (1) decides not to withhold or withdraw pension but orders recovery of pecuniary loss from pension, the recovery shall not ordinarily be made at a rate exceeding one-third of the pension admissible on the date of retirement of a railway servant.
- (5) (a) No appeal shall lie against any order made by the President under this rule.
  - (b) An appeal against an order under sub-rule (1), passed by an authority other than the President, shall lie to the President and the President shall, in consultation with the Union Public Service Commission, pass such orders on the appeal as he deems fit.
- (6) The President may at any time, either on his own motion or otherwise call for the records of any inquiry and revise any order made under these rules, after consultation with the Union Public Service Commission, and may confirm, modify or set aside the order; or remit the case to any authority directing such authority to make such further enquiry as it may consider proper in the circumstances of the case or pass such other order as he may deem fit:
  - Provided that no order enhancing the amount of pension or gratuity to be withheld or withdrawn, shall be made by the President unless the railway servant concerned has been given an opportunity of making a representation against the order proposed and except after consultation with the Union Public Service Commission.
- (7) The President may at any time, either on his own motion or otherwise review any order passed under these rules, where extenuating or special circumstances exist to warrant such review or when any new material or evidence which could not be produced or was not available at the time of passing the order under review and which has the effect of changing the nature of the case, has come, or has been brought, to his notice:

Provided that no order enhancing the amount of the pension or gratuity to be withheld or withdrawn, shall be made by the President unless the railway servant concerned has been given an opportunity of making a representation against the order proposed and except after consultation with the Union Public Service Commission.

Explanation.- For the purpose of this rule,-

- (1) (a) the departmental proceedings shall be deemed to be instituted on the date on which the statement of charges is issued to the Railway servant or pensioner, or if the railway servant has been placed under suspension from an earlier date, on such date; and
- (b) the judicial proceedings shall be deemed to be instituted, –
- (i) in the case of criminal proceedings, on the date on which the complaint or report of a police officer, of which the Magistrate takes cognisance, is made; and
- (ii) in the case of civil proceedings, on the date the suit is filed in the court.

- (2) the expression "misconduct" means any act done or omitted to be done by the pensioner, during the period of service, including service rendered upon re-employment after retirement, and which was in violation of any provisions of the Railway Services (Conduct) Rules, 1966, for which action under Railway Servants (Discipline and Appeal) Rules, 1968 could be taken during the period of service.
- (3) the action under sub-rule (1) may be taken, if the pensioner is found guilty of,-
- (i) any corrupt practices during service;
- (ii) any misconduct whether in relation to the performance of official duty or otherwise; and
- (iii) any misconduct whether resulting in pecuniary loss to the Government or otherwise.
- (4) the expression "civil proceedings" mean such proceedings in respect of a civil suit filed by the Government only."
- 3. In the Railway Services (Pension) Rules, 1993, for rule 10, the following rule shall be substituted, namely:—
- **"10. Provisional Pension where departmental or judicial proceedings may be pending.**—(1) (a) in respect of a railway servant referred to in sub-rule (3) of rule 9, the Accounts Officer shall authorise the provisional pension equal to the maximum pension which would have been admissible on the basis of qualifying service up to the date of retirement of the railway servant, or if he was under suspension on the date of retirement, up to the date immediately preceding the date on which he was placed under suspension.
  - (b) the provisional pension shall be authorised by the Accounts Officer during the period commencing from the date following the date of retirement up to and including the date on which, after the conclusion of departmental or judicial proceedings, final orders are passed by the competent authority.
  - (c) no gratuity shall be paid to the railway servant until the conclusion of the departmental or judicial proceedings and issue of final orders thereon.
  - (d) the provisions of this rule shall not be applicable where allegations of misconduct are under investigation against a railway servant or where departmental or judicial proceedings are contemplated against a railway servant but have not actually been instituted or deemed to have been instituted in accordance with explanation to rule 9, till the date of retirement of the railway servant and the pension and gratuity in such cases shall be authorised to be paid to the railway servant on his retirement in accordance with rule 85:

Provided that any departmental proceedings instituted after retirement of the railway servant shall be subject to the provisions of sub-rule (2) of rule 9.

- (2) payment of provisional pension made under sub-rule (1) shall be adjusted against final retirement benefits sanctioned to such railway servant upon conclusion of such proceedings but no recovery shall be made where the pension finally sanctioned is less than the provisional pension or the pension is reduced or withheld either permanently or for a specified period."
- 4. In the Railway Services (Pension) Rules, 1993, after form 21, the Formats shall be inserted, namely:—

FORMAT 1	
(See Rule 9)	
Sanction for instituting departmental proceedings after retirement	
No	
Government of India	
Ministry of Railways	
(Railway Board)	
Dated the	
ORDER	
WHEREAS it has been made to appear that Shri/Smt./Km	was

(2) of rule 9 of the Railway Services (Pension) Rules, 1993, the [President/Railway Board]* hereby accords sanction for institution of the departmental proceedings against the said Shri/Smt./ Km
The [President/Railway Board]* further directs that the said departmental proceedings shall be conducted in accordance with the procedure laid down in rules 9 and 10 of the Railway Servants (Discipline and Appeal) Rules, 1968, by(here specify the authority by whom the departmental proceedings should be conducted) at
By order and in the name of the [President/Railway Board]*
(Name and designation of the Competent Authority)
* Whoever is the Competent Authority
No
Copy forwarded to Shri/Smt./Km
Copy also forwarded to Shri/Smt.Km
FORMAT 2
(See Rule 9)
Memorandum for instituting departmental proceedings after retirement
No
Government of India
Ministry of Railways
(Railway Board)
Dated the
MEMORANDUM
In pursuance of the sanction accorded by the [President/Railway Board]* under sub-rule (1) of rule 9 of the Railway Services (Pension) Rules, 1993, for instituting departmental proceedings against Shri/Smt./Km
2. The substance of the imputations of misconduct or misbehaviour in respect of which the inquiry is proposed to be held is set out in the enclosed statement of articles of charge (Annexure I). A statement of the imputations of misconduct or misbehaviour in support of each article of charge is enclosed (Annexure II). A list of documents by which, and a list of witnesses by whom, the articles of charge are proposed to be sustained are also enclosed (Annexures III and IV).
3. Shri/Smt./Kmis directed to submit within ten days of the receipt of this Memorandum a written statement of his/her defence and also to state whether he/she desires to be heard in person.
4. He/she is informed that an inquiry will be held only in respect of those articles of charge as are not admitted. He/she should, therefore, specifically admit or deny each article of charge.
5. Shri/Smt./Km

[भाग II—खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण 11

inquiring authority or otherwise fails or refuses to comply with the provisions of rules 9 and 10 of the Railway Servants (Discipline and Appeal) Rules, 1968, or the orders/directions issued in pursuance of the said rules, the inquiring authority may hold the inquiry against him/her ex parte.

6. The receipt of this Memorandum may be acknowledged.
By order and in the name of the [President/Railway Board]*
(Name and designation of the Competent Authority)
* Whoever is the Competent Authority
To
Shri/Smt./Km
ANNEXURE - I
Statement of articles of charge framed against Shri/Smt./ Km (name of the retired Railway servant) formerly
Article - I
That the said Shri/Smt./Kmwhile functioning as
Article - II
That during the aforesaid period and while functioning in the aforesaid office, the said Shri/Smt./Km
Article - III
That during the aforesaid period and while functioning in the aforesaid office, the said Shri/Smt./Km
ANNEXURE - II
Statement of imputations of misconduct or misbehaviour in support of the articles of charge framed against Shri/Smt./Km(name of the retired Railway servant) formerly
Article – I
Article – II
Article - III
ANNEXURE - III
List of documents by which the articles of charge framed against Shri/ Smt./Km
ANNEXURE - IV
List of Witnesses by whom the articles of charge framed against Shri/Smt./Km
[F. No. 2023/F(E)III/PN1/1]
BANDANA SHARMA, Executive Director
<b>Note:</b> The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), <i>vide</i> S.O. 930(E), dated 3 <sup>rd</sup> December, 1993 and was last amended <i>vide</i> G.S.R.110,

dated the 17th June, 2016.

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

### अधिसूचना

नई दिल्ली 24 जून, 2024

सा.का.नि.3.4.6....(अ). – राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रेल सेवा (पेंशन) नियम, 1993 में और संशोधन करने के लिए निम्निलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :-

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का नाम रेल सेवा (पेंशन) संशोधन नियम, 2024 है।
  - (2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- रेल सेवा (पेंशन) नियम, 1993 में, नियम 9 के लिए निम्निलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-
- "9. पेंशन को रोकने और प्रत्याहत करने का अधिकार.- (1) (क) राष्ट्रपति, किसी ऐसे पेंशनभोगी के मामले में जो उस पद से सेवानिवृत्त हुआ जिसके लिए राष्ट्रपति नियुक्ति प्राधिकारी है;
  - (ख) रेलवे बोर्ड, किसी ऐसे पेंशनभोगी के मामले में जो उस पद से सेवानिवृत्त हुआ जिसके लिए राष्ट्रपति के अधीनस्थ प्राधिकारी नियुक्ति प्राधिकारी है,

लिखित रूप में आदेश द्वारा, पेंशन या उपदान को, या दोनों को, पूर्णतः या अंशतः रोकने, या पेंशन को पूर्णतः या अंशतः, स्थायी रूप से या किसी विनिर्दिष्ट अविध के लिए प्रत्याहृत करने तथा रेलवे को कारित किसी धन संबंधी हानि को पूर्णतः या अंशतः पेंशन या उपदान में से वसूल करने का आदेश, यदि किसी विभागीय कार्यवाहियों या न्यायिक कार्यवाहियों में पेंशनभोगी के बारे में यह पाया जाए कि वह अपने सेवाकाल में, जिसके अंतर्गत सेवानिवृत्ति के पश्चात् पुनर्नियोजन करने पर की गई सेवा भी है, गंभीर अवचार या उपेक्षा का दोषी रहा है, दे सकेगा:

परंतु इस उप-नियम के अधीन राष्ट्रपति द्वारा कोई भी अंतिम आदेश पारित करने से पूर्व संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा:

परंतु यह और कि जहां पेंशन का कोई भाग रोक लिया जाए या प्रत्याहत किया जाए, वहां ऐसी पेंशन की रकम नियम 69 के अधीन न्यूनतम पेंशन की रकम से नीचे कम नहीं की जाएगी।

(2) (क) यदि, उप-नियम (1) में निर्दिष्ट विभागीय कार्यवाहियां, उस समय, जब रेल सेवक सेवक सेवक मेव में रहा हो, चाहे उसकी सेवानिवृत्ति से पूर्व या उसके पुनर्नियोजन के दौरान संस्थित की गई हो तो, रेल सेवक के अंतिम रूप से सेवानिवृत्त हो जाने के पश्चात, यह समझा जाएगा कि वे इस नियम के अधीन की कार्यवाहियां हैं, और वे उस प्राधिकारी द्वारा, जिसके द्वारा वे प्रारम्भ की गई थीं, उसी रीति से जारी रखी जाएंगी और उन्हें अंतिम रूप दिया जाएगा, मानो वह रेल सेवक सेवा मे बना रहा हो:

परंतु जहां विभागीय कार्यवाहियां उप-नियम (1) के अधीन आदेश पारित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के किसी अधीनस्थ प्राधिकारी द्वारा संस्थित की जाएं, वहां वह प्राधिकारी अपने निष्कर्षों को अभिलिखित करते हुए एक रिपोर्ट उक्त सक्षम प्राधिकारी को देगा।

- (ख) उप-नियम (1) और खंड (क) में वर्णित किसी बात के होते हुए भी, रेल सेवक के सेवा में रहते हुए, रेल सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियम 1968 के नियम 11 के अधीन संस्थापित विभागीय कार्यवाही जो सेवानिवृत्ति के पश्चात् भी जारी रहती है, का प्रभाव उसकी पेंशन और उपदान पर नहीं पड़ेगा।
- (ग) यदि विभागीय कार्यवाहियां उस समय, जब रेल सेवक सेवा में था, चाहे उसकी सेवानिवृत्ति से पूर्व या उसके पुनर्नियोजन के दौरान, संस्थित न की गई हों तो वे, -
- (i) प्रारूप 1 में उप-नियम (1) के अधीन आदेश पारित करने के लिए सक्षमप्राधिकारी की मंजूरी के बिना संस्थित नहीं की जाएगी;

- (ii) ऐसी किसी घटना की बाबत नहीं होगी, जो उक्त संस्थिति से पूर्व चार वर्ष से अधिक पहले घटी हो; और
- (iii) ऐसे प्राधिकारी द्वारा और ऐसे स्थान में जिनके बारे में उप-नियम (1) के अधीन आदेश पारित करने वाला सक्षम प्राधिकारी निदेश दे और ऐसी प्रक्रिया के अनुसार संचालित की जाएंगी, जो ऐसी विभागीय कार्यवाहियों को लागू होती हों जिसमें रेल सेवक के संबंध में सेवा से पदच्युति का आदेश उसकी सेवा के दौरान दिया जा सकता हो:

परंतु इस उप-नियम के अधीन विभागीय कार्यवाहियां संस्थित करने के प्रयोजन से, संबंधित पेंशनभागी को प्रारूप 2 में आरोपों का ज्ञापन भेजा जाएगा।

- (घ) जहां रेल सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियम, 1968 के अनुसार कार्यवाहियों के दौरान ऐसे रेल सेवक को कारण बताने का अवसर देते हुए पूर्ण रूप से जांच की जाती है, तो वहां उसी मामले में उप-नियम (1) के अधीन कार्रवाई करने से पूर्व और कारण बताने का अवसर देना आवश्यक नहीं होगा।
- (3) ऐसे रेल सेवक की दशा में, जो अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर या अन्यथा सेवानिवृत्त हुआ हो और जिसके विरुद्ध कोई विभागीय या न्यायिक कार्यवाहियां संस्थित की गई हों या जहां रेल सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियम, 1968 के नियम 9 के अधीन संस्थित विभागीय कार्यवाहियां, उप-नियम (2) के अधीन जारी रखी गई हों, नियम 10 में यथा उपबंधित अनंतिम पेंशन संस्वीकृत की जाएगी।
- (4) जहां उप-नियम (1) के अधीन आदेश पारित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी यह विनिश्चय करे कि पेंशन न तो रोकी ही जाए और न ही प्रत्याहत की जाए, किन्तु धन संबंधी हानि की पेंशन में से वसूली के आदेश दें, वहां वह वसूली रेल सेवक की सेवानिवृत्ति की तारीख को अनुजेय पेंशन की एक तिहाई से अधिक की दर पर सामान्यतया नहीं की जाएगी।
- (5) (क) इस नियम के अधीन राष्ट्रपति द्वारा दिए गए किसी आदेश के विरुद्ध कोई अपील अपील नहीं की जा सकेगी।
  - (ख) राष्ट्रपति से भिन्न किसी प्राधिकारी द्वारा उप-नियम (1) के अधीन पारित किसी आदेश के विरुद्ध अपील राष्ट्रपति को की जा सकेगी और राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा

आयोग से परामर्श करके अपील पर ऐसे आदेश पारित करेगी, जो वह उपयुक्त समझे।

(6) राष्ट्रपति किसी भी समय स्वप्रेरणा से या अन्यथा किसी जांच के अभिलेखों को मांग सकती हैं और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के अधीन किए गए किसी भी आदेश की पुनरीक्षा कर सकती हैं और आदेश की पुष्टि, उपांतरण या अपास्त कर सकती हैं, या मामले को किसी प्राधिकारी को यह निर्देश देते हुए विप्रेषित कर सकती हैं कि वह आगे ऐसी जांच करे जो वह मामले की परिस्थितयों में उपयुक्त समझे या ऐसे अन्य आदेश पारित कर सकती हैं जैसे वह ठीक समझें:

परंतु विधारित या प्रत्याहत की जाने वाली पेंशन या उपदान की रकम में वृद्धि करने वाला कोई आदेश राष्ट्रपति द्वारा तब तक नहीं दिया जाएगा, जब तक कि संबंधित रेल रेल सेवक को प्रस्तावित आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन करने का एक अवसर नहीं दिया दिया जाता है और जब तक संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श न किया गया हो।

(7) ऐसी परिशमनकारी अथवा विशेष परिस्थितियां जो पुनर्विलोकन के लिए समुचित आधार हैं या कोई नई सामग्री या साक्ष्य जिसे पुनरीक्षाधीन आदेश के पारित किए जाने के समय प्रस्तुत नहीं किया जा सका था या जो उपलब्ध नहीं थे और जो मामले के स्वरूप में परिवर्तन करने का प्रभाव रखती है, के नोटिस में आने या लाए जाने पर, राष्ट्रपति किसी भी समय, स्वप्रेरणा से या अन्यथा, इन नियमों के अधीन पारित किसी आदेश का पुनर्विलोकन कर सकती हैं:

परंतु विधारित या प्रत्याहत की जाने वाली पेंशन या उपदान की रकम में वृद्धि करने वाला कोई आदेश राष्ट्रपति द्वारा तब तक नहीं दिया जाएगा, जब तक कि संबंधित रेल रेल कर्मचारी को प्रस्तावित आदेश के विरूद्ध अभ्यावेदन करने का एक अवसर नहीं दिया जाता है और जब तक संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श न किया गया हो।

स्पष्टीकरण -इस नियम के प्रयोजन के लिए,-

- (1) (क) विभागीय कार्यवाहियां उस तारीख को, जिसको आरोपों का विवरण रेल सेवक या पेंशनभोगी को जारी किया गया है, अथवा यदि रेल कर्मचारी किसी पूर्वतर तारीख से निलंबित कर दिया गया है तो ऐसी तारीख को संस्थित हुई समझी जाएंगी; तथा
- (ख) न्यायिक कार्यवाहियां संस्थित हुई समझी जाएंगी,-

- (i) दांडिक कार्यवाहियों की दशा में, उस तारीख को संस्थित हुई समझी जाएंगी जिसको किसी पुलिस अधिकारी की शिकायत या रिपोर्ट, जिसका कि मजिस्ट्रेट संज्ञान करता है, की गई हो; और
- (ii) सिविल कार्यवाहियों की दशा में, उस तारीख को संस्थित हुई समझी जाएंगी जिसको वादपत्र न्यायालय में पेश किया जाता है।
- (2) "अवचार" अभिव्यक्ति से पेंशनभोगी द्वारा सेवा की अवधि के दौरान, जिसमें सेवानिवृत्ति के पश्चात पुनर्नियोजन के दौरान की गई सेवा भी है, किया गया या नहीं किया गया कोई ऐसा कार्य अभिप्रेत है, और जो रेल सेवा (आचरण) नियम, 1966 के किन्हीं उपबंधों का उल्लंघन था, जिसके लिए सेवा की अवधि के दौरान रेल सेवक (अनुशासन और अपील) नियम, 1968 के अधीन कार्रवाई की जा सकती है।
- (3) उपनियम (1) के अधीन कार्रवाई की जा सकती है, यदि पेंशनभोगी निम्न के लिए दोषी पाया जाता है,-
- (i) सेवा के दौरान कोई भी भ्रष्ट आचरण;
- (ii) शासकीय कर्तव्य के निष्पादन की बाबत या अन्यथा कोई अवचार; तथा
- (iii) किसी प्रकार का अवचार जिसके परिणामस्वरूप सरकार को आर्थिक नुकसान हो या अन्यथा।
- (4) "सिविल कार्यवाहियां" अभिव्यक्ति से ऐसी कार्यवाहियां अभिप्रेत होंगी जो केवल सरकार द्वारा दायर सिविल वाद की बाबत हों।"
- रेल सेवा (पेंशन) नियम, 1993 में, नियम 10 के लिए, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

## "10. अनंतिम पेंशन जहां विभागीय या न्यायिक कार्यवाहियां लंबित हों-

(1) (क) नियम 9 के उप-नियम (3) में निर्दिष्ट रेल सेवक की बाबत, लेखा अधिकारी उस अधिकतम पेंशन के बराबर अनंतिम पेंशन प्राधिकृत करेगा जो रेल सेवक की सेवानिवृत्ति की तारीख तक, या यदि वह सेवानिवृत्ति की तारीख को निलंबित रहा था, तो उसके निलंबित किए जाने की तारीख से ठीक पूर्व की तारीख तक, उसकी अर्हक सेवा के आधार पर उसे अनुज्ञेय होती।

- (ख) लेखा अधिकारी उस अवधि के लिए अनंतिम पेंशन प्राधिकृत करेगा, जो सेवानिवृत्ति की तारीख से प्रारंभ होकर और उस तारीख तक है, जिसमें वो तारीख भी सिम्मिलित है जिसको विभागीय या न्यायिक कार्यवाहियों की समाप्ति के पश्चात् सक्षम सक्षम प्राधिकारी द्वारा अंतिम आदेश पारित किए जाते हैं।
- (ग) रेल सेवक को तब तक कोई भी उपदान नहीं दिया जाएगा जब तक कि विभागीय या न्यायिक कार्यवाहियां समाप्त नहीं हो जाती और उन पर अंतिम आदेश नहीं दे दिया जाता।
- (घ) इस नियम के उपबंध वहां लागू नहीं होंगे, जहां किसी रेल सेवक के विरुद्ध अवचार के आरोपों की जांच की जा रही हो अथवा जहां किसी रेल सेवक के विरुद्ध विभागीय या न्यायिक कार्यवाहियां करने पर विचार किया जा रहा है, किंतु रेल सेवक के सेवानिवृत्ति की तारीख तक, नियम 9 के स्पष्टीकरण के अनुसार वस्तुतः संस्थित नहीं की गई हैं या संस्थित किया गया नहीं समझा गया है और ऐसे मामलों में, नियम 85 के अनुसार रेल सेवक को उसकी सेवानिवृत्ति पर पेंशन और उपदान का संदाय प्राधिकृत किया जाएगा।

परंतु रेल सेवक की सेवानिवृत्ति के पश्चात् संस्थित की गई कोई भी विभागीय कार्यवाहियां नियम 9 के उप-नियम (2) के उपबंधों के अधीन होगी।

- (2) उप-नियम (1) के अधीन अनंतिम पेंशन का संदाय ऐसी कार्यवाहियों की समाप्ति पर रेल सेवक को संस्वीकृत अंतिम सेवानिवृत्ति हितलाओं के सापेक्ष समायोजित किया जाएगा, किंतु जहां अंतिम रूप में संस्वीकृत पेंशन अनंतिम पेंशन से कम है या जहां पेंशन कम हो गई है या स्थायी रूप से या किसी विनिर्दिष्ट अविध के लिए विधारित कर ली जाती है वहां कोई वसूली नहीं की जाएगी।"
- रेल सेवा (पेंशन) नियम, 1993 में, प्ररूप 21 के पश्चात्, निम्नलिखित रूपविधान सम्मिलित किए जाएंगे, अर्थात्:-

## प्रारूप 1 (नियम 9 देखें) सेवानिवृत्ति के पश्चात विभागीय कार्यवाही प्रारंभ करने की स्वीकृति सं.....

भारत सरकार रेंल मंत्रालय

# (रेलवे बोर्ड)

आदेश
चूंकि यह पाया गया है कि श्री/श्रीमती/कु
अतः, रेल सेवा (पेंशन) नियम, 1993 के नियम 9 के उप-नियम (2) के खंड (सी) के उप-खंड (i) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, [राष्ट्रपति/रेलवे बोर्ड]* उक्त श्री/श्रीमती/कु के खिलाफ विभागीय कार्यवाही शुरू करने की स्वीकृति प्रदान करते है।
[राष्ट्रपति रेलवे बोर्ड] * यह भी निर्देशित करते है कि उक्त विभागीय कार्यवाही रेल कर्मचारी (अनुशासन एवं अपील) नियम, 1968 के नियम 9 और 10 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार द्वारा (यहां उस प्राधिकारी का उल्लेख करें जिसके द्वारा विभागीय कार्यवाही की जानी चाहिए)
[राष्ट्रपति/रेलवे बोर्ड]* के नाम पर आदेशानुसार
(सक्षम प्राधिकारी का नाम एवं पदनाम)
* जो भी सक्षम प्राधिकारी हो
सं श्री श्रीमती./कु को अग्रेषित प्रतिलिपि श्री श्रीमती./कु को भी अग्रेषित प्रतिलिपि

### प्रारूप 2 (नियम 9 देखें)

### सेवानिवृत्ति के पश्चात विभागीय कार्यवाही शुरू करने के लिए ज्ञापन

स	 						_	_	_	_										_
****	 	*	٠.	•	•	•	•	٠	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	۰	•

भारत सरकार रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

तारीख	
* *	

#### ज्ञापन

- 2. कदाचार या दुर्व्यवहार के जिन आरोपों के संबंध में जांच प्रस्तावित है, उनका सार आरोपों के संलग्न विवरण (उपाबंध-I) में दिया गया है। प्रत्येक आरोप के समर्थन में कदाचार या दुर्व्यवहार के आरोपों का एक वक्तव्य संलग्न है (उपाबंध-II)। उन दस्तावेजों तथा गवाहों की सूची (उपाबंध III और IV), जिनके आधार पर आरोप-पत्र को कायम रखने का प्रस्ताव है, भी संलग्न है।
- 3. श्री/श्रीमती/कु..... को इस ज्ञापन की प्राप्ति के दस दिनों के भीतर अपने बचाव में लिखित बयान प्रस्तुत करने और प्रत्यक्ष रूप में अपनी बात रखने की इच्छा को व्यक्त करने का निर्देश दिया जाता है।
- 4. उन्हें सूचित किया जाता है कि केवल अस्वीकार किए गए आरोपों के संबंध में जांच की जाएगी। इसलिए, उन्हें प्रत्येक आरोप को विनिर्दिष्ट रूप से स्वीकार या अस्वीकार करना चाहिए।

5. श्री/श्रीमती/कु को यह भी सूचित किया जाता है कि यदि
वे उपर्युक्त पैरा 3 में विनिर्दिष्ट तारीख को या उससे पहले अपना बचाव का लिखित
बयान प्रस्तुत नहीं करते, या जांच प्राधिकारी के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित
नहीं होते या रेल कर्मचारी (अनुशासन और अपील) नियम, 1968 के नियम 9 और
10 के उपबंधों का पालन करने से इनकार करते है या पालन करने में विफल रहते
है, तो जांच प्राधिकारी उनके विरुद्ध एकपक्षीय जांच आयोजित कर सकते हैं।
6. इस ज्ञापन की पावती दी जाए।
[राष्ट्रपति/रेलवे बोर्ड] के नाम पर आदेशानुसार *
(सक्षम प्राधिकारी का नाम और पदनाम)
<ul> <li>जो भी सक्षम प्राधिकारी है</li> </ul>
सेवा में,
श्री/श्रीमती/कु
उपाबंध - I
श्री/श्रीमती/कु (सेवानिवृत्त रेल कर्मचारी का नाम)
के विरुद्ध लगाए गए आरोपों का विवरण, जो पूर्व मेंथै।
अनुच्छेद - I
उक्त श्री/श्रीमती/कुअवधि के दौरान
के रूप में कार्य करते हए।
अन्च्छेद - II
कि उपरोक्त अविध के दौरान और उपरोक्त कार्यालय में कार्य करते समय, उक्त
श्री/श्रीमती/कु
अन्च्छेद - III
कि उपरोक्त अवधि के दौरान और उपरोक्त कार्यालय में कार्य करते समय, उक्त
श्री/श्रीमती/कु

श्री/श्रीमती/कृ (सेव	गानिवृत्त रेल कर्मचारी का नाम) के विरुद्ध लगाए गए
	या दुर्व्यवहार के आरोपों का विवरण, जो पूर्व में
	3 3 4 4 (1) 3 5 1 (1) 3 1 1 4 4 (1) 5 1 7 4 5 1
थे।	
	अनुच्छेद - I
	अनुच्छेद - II
	अनुच्छेद —III
	उपाबंध —III
	34144 -III
	-4
	श्री/श्रीमती/कु(सेवानिवृत्त रेल
रेल कर्मचारी का नाम) जो पूर्व	मेंथे, के विरुद्ध लगाए गए आरोपों
को कायम रखने का प्रस्ताव है।	
	उपाबंध -IV
उन साक्षियों की सूची जिनके द्वा	रा श्री/श्रीमती/कु (सेवानिवृत्त
N 15	म) जो पूर्व मेंथे, के विरुद्ध
लगाए गए आरोपों को कायम रख	बन का प्रस्ताव है।

(फाइल नंबर 2023/एफ(ई)।।।/पीएन1/1)

वन्देना श्रामी

(बन्दना शर्मा) कार्यपालक निदेशक, वित (स्थापना) रेलवे बोर्ड

टिप्पणः मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उप-खंड (ii), का. अ. 930(अ) तारीख 3 दिसंबर, 1993 द्वारा प्रकाशित किए गए और सा.का.नि. 110 तारीख 17 जून, 2016 द्वारा अंतिम बार संशोधित किया गया।